

क्या कुछ दिनों से आपका हैसमुख बच्चा कुछ परेशान सा है?



**यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।
इसका कारण जानने की कोशिश करें।**

विद्यालय

- बच्चों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखें
- विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा न दें
- बच्चों के व्यवहार में अचानक आये बदलावों पर ध्यान दें
- लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम से शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अवगत कराएं
- शिकायत पेटी की व्यवस्था करें
- आवासीय स्कूलों में मैट्रन एवं परामर्शदाता की व्यवस्था करें
- माता-पिता के साथ मिलकर समय-समय पर इस समस्या के बारे में संवाद करें
- शिकायत कमेटी का गठन करें।

अभिभावक

- खास ध्यान दें: क्या आपका बच्चा स्कूल जाने से कतराता है, उसकी पढ़ाई में रुचि अचानक कम हो गई है?
- क्या वह परेशान, अकेला और गुम सुम रहता है?
- 'अच्छे स्पर्श' और 'बुरे स्पर्श' से बच्चे को परिचित करायें
- अपने बच्चे के साथ परस्परता बनाएं।

विद्यार्थी

- 'अच्छे स्पर्श' तथा 'बुरे स्पर्श' को जानें, यदि विद्यालय में किसी का व्यवहार अनुचित लगे तो तुरंत रिपोर्ट करें
- शिकायत पेटी में शिकायत डालें
- अपने शिक्षक तथा माता पिता को इस बारे में जरूर बतायें

**बाल यौन शोषण एक गंभीर समस्या है।
बच्चों को इससे बचाएं।**

**वर्ष 2012 से देश में लैंगिक अपराधों से
बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम लागू है।**

क्या आप जानते हैं: बच्चों का यौन उत्पीड़न करना एक दंडनीय अपराध है,
जिसके लिए 3 से 10 वर्ष की कैद अथवा आजीवन उम्र कैद की सज़ा हो सकती है।



मुरकान बचाओ अभियान

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड



चाईल्ड हेल्पलाइन (टॉल फ्री नंबर): 1098